



235



**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)**

II/निगरानी/टीकमगढ़/शु-रा/2017/2513

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

जगदीश पुत्र श्री पंचमलाल आयु- 33 वर्ष, व्यवसाय- कृषि निवासी- ग्राम स्यावली तहसील- लिधोरा, जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.) .....आवेदक

बनाम

परमू मृत द्वारा वारिसान -

1. प्रभुदयाल आयु- 40 वर्ष, व्यवसाय- कृषि
2. दयाराम आयु- 56 वर्ष, व्यवसाय- कृषि
3. पंचमलाल आयु- 63 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, समस्त पुत्रगण स्व. श्री परमू निवासीगण- ग्राम स्यावली तहसील- लिधोरा, जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. शू-राजस्व संहिता विरुद्ध

आदेश दिनांक 16.07.2009 पारित द्वारा नायब तहसीलदार

तहसील पलेरा मण्डल स्यावली प्रकरण क्र. 15/08-09/अ-3,

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक मृतक परमू द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र वास्ते ग्राम चक्र खिली स्यावली हल्का दरियापुर तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ में

श्री सी. नरवरीया : ७५.  
द्वारा आज दि 2-8-17 को  
प्रस्तुत  
for Shri  
ऑफ कोर्ट 2-8-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S.C. Narvariya  
Advocate  
2-8-17


- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2513

जगदीश विरुद्ध प्रभुदयाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री पी.के. तिवारी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील पलेरा मण्डल स्यावली, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 15/2008-09/अ-3 में पारित आदेश दिनांक 16-07-2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;"> (आर.के. जैन) 20/2/2019 सदस्य</p>